भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *263
दिनांक 09.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

रूस की सेना में भारतीय

***263. श्री गौरव गोगोईः**
एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रूसी सेना में सेवारत 40 भारतीय नागरिकों के सुरक्षित और त्वरित प्रत्यावर्तन को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई विशिष्ट कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भ्रामक भर्तियों से संबंधित रिपोर्ट के बाद, रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं की कोई जाँच शुरू की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में विश्व भर में अन्य देशों की सशस्त्र सेनाओं में सेवारत भारतीय नागरिकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार के पास उनकी सुरक्षा और कुशलता की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नौकरियों के झूठे वायदों के आधार पर भारतीय युवकों का विदेशों में अवैध व्यापार बढ़ रहा है; और

(च) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
विदेश मंत्री
(डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"रूस की सेना में भारतीय" के संबंध में दिनांक 09.08.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *263 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

रूसी सशस्त्र बलों से भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई तथा उनकी सुरक्षा और कल्याण से संबंधित मुद्दे को सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर संबंधित रूसी प्राधिकारियों के साथ ज़ोरदार ढंग से उठाया गया है। हालाँकि ऐसे भारतीय नागरिकों की सही संख्या ज्ञात नहीं है, वर्तमान में उपलब्ध जानकारी से ज्ञात हुआ है कि 13 भारतीय नागरिक पहले ही रूसी सशस्त्र बलों को छोड़ चुके हैं, जबकि अन्य 66 व्यक्ति शीघ्र रिहाई की मांग कर रहे हैं। जुलाई 2024 में रूस की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रूसी सशस्त्र बलों से सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई की तत्काल आवश्यकता पर पुनः ज़ोर दिया।

भारत के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने ऐसे लोगों के विरुद्ध भारतीय कानून के संगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है जो रूसी सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय नागरिकों को भ्रमित करने में शामिल थे।

अन्य राष्ट्रों के सशस्त्र बलों में सेवारत भारतीय नागरिकों की संख्या ज्ञात नहीं है। हमारे मिशन और केंद्र विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देते हैं तथा सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करते हैं।

सरकार के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं जहाँ युवाओं सहित भारतीय नागरिकों को फ़र्जी एजेंटों/संस्थाओं द्वारा भ्रामक सूचनाओं के आधार पर विदेश में नौकरी का प्रलोभन दिया गया।

जब भी अवैध प्रवास/मानव तस्करी की शिकायतें प्राप्त होती हैं, विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की जाती है। पीड़ित भारतीय नागरिक को संबंधित मिशन/केंद्र द्वारा सहायता और राहत प्रदान की जाती है, जो इस मुद्दे को स्थानीय प्राधिकारियों के साथ भी उचित रूप से उठाता है, और शिकायत को आगे की कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए इस संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति अनुबंध–क में दी गई है। ऐसे फ़र्जी एजेंटों/ संस्थाओं से संबंधित जानकारी ई–माइग्रेट पोर्टल पर भी नियमित आधार पर अपडेट की जाती है। जून 2024 तक पोर्टल पर कुल 3,042 अवैध एजेंटों को अधिसूचित किया गया है।

*****

अनुबंध–क

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या				राज्य पुलिस द्वारा प्रस्तुत एटीआर				ऐसे मामलों की संख्या जिनमें जाँच के पश्चात अभियोजन स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया				जारी अभियोजन स्वीकृति की संख्या			
		2021	2022	2023	2024 (जून तक)	2021	2022	2023	2024 (जून तक)	2021	2022	2023	2024 (जून तक)	2021	2022	2023	2024 (जून तक)
1.	आंध्र प्रदेश	1,111	688	445	261	0	0	5 *	–	0	0	1	0	0	0	1	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0
4.	बिहार	10	2	6	5	4(एफआई आर दर्ज)	0	1(एफआई आर दर्ज)	1(एफआई आर दर्ज)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	चंडीगढ़	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	छत्तीसगढ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	दिल्ली	1	1	4	8	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
8.	गोवा	3	14	5	1	0	5	0	1	0	0	0	0				
9.	गुजरात	2	2	2	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	हरियाणा	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
11.	हिमाचल प्रदेश	0	3	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	जम्मू और कश्मीर	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
13.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	कर्नाटक	6	21	32	13	0	4	6	0	0	1	3	0	0	1	3	0
15.	केरल*	65	69	110	95	54	47	87	66	2	7	7	1	2	7	7	1

						(एफआईआर दर्ज)	(एफआईआर दर्ज)	(एफआईआर दर्ज)	(एफआईआर दर्ज)								
16.	मध्य प्रदेश	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	महाराष्ट्र	22	8	6	2	0	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1
18.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मिज़ोरम	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	ओडिशा		0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	पंजाब	2	23	56	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	राजस्थान	91	64	35	45	24 (एक एफआईआर दर्ज)	2	0	0	4	0	2	0	4	0	2	0
25.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	तमिलनाडु	85	254	152	86	0	6	7	0	1	0	1	0	1	0	1	0
27.	तेलंगाना	74	63	132	40	–	19	35	2	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	उत्तराखंड	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
31.	पश्चिम बंगाल	74	10	5	8	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	कुल	1,553	1,227	1,006	575	82	87	147	74	7	11	15	14	7	11	15	14

***** आंध्र प्रदेश पुलिस से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें सूचित किया गया कि पाँच प्रवासियों ने एजेंट के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने से इंकार कर दिया है।

****